न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

राजस्व अपील सं0 517/2023 अनवान संजय व अन्य बनाम धापू वगैरा

दिनांक 04.11.2024

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी बाप (जोधपुर) द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 241/2022 में पारित आदेश दिनांक 31.05.23 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1–प्रार्थीया–धापू ने प्रार्थना प्रस्तुत कर तहसील घटियाली के ग्राम चाम्पासर के खसरा नं0 65 की भूमि का मौका फर्द दिनांक 6.5.22 अनुसार पत्थरगढी करवाने का आग्रह किया गया। जो अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट्स–अप्रार्थी सं0 14 से 17 वगैरा ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है। अपील के साथ प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र न्यायहित में स्वीकार कर प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने अपनी बहस में अपील मीमो में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यत: यह निवेदन किया कि ग्राम चाम्पासर के ख0नं0 125 व 126 की भूमि उसकी खातेदारी व कब्जाकाश्त है, जिसमें ढाणी, टांके आदि बने हुए है व तारबंदी की हुई है। वादग्रसत भूमि रेस्पो0सं0 1–प्रार्थी की खरीदशुदा है, पूर्व के खातेदार द्वारा करवायी गई पैमाईश में अपीलांट्स को सूचित नही किया गया। मौका फर्द में वादग्रस्त खसरे का न तो नक्शा बनाया गया और न ही सीमाओं का नाप अथवा पडौसी खातेदारान उल्लेखित है। इसके अलावा अपीलाधीन आदेश एकतरफा पारित किया गया है। अत: अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0सं0 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यत: यह आग्रह किया कि ग्राम चाम्पासर के ख0नं0 65 की भूमि उसकी खातेदारी व कब्जाकाश्त है, जिसमें रहवासी ढाणी, पानी का टांका, बाडे आदि बने हुए है। उक्त भूमि पर तारबंदी नही होने से आवारा पशुओं द्वारा फसलों की क्षति की जा रही है। रेस्पो0–प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अपीलांट्स को बतौर रेस्पो0सं0 14–15 पक्षकार संयोजित किया था तथा इनकी तामिली हेतु रजि0 डाक द्वारा नोटिस भिजवाये गये। अप्रार्थी सं0 2 से 18 की अनुपस्थिति में इनके विरूद्ध इकतरफा आदेश पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश में पडौसी खातेदारों को सूचित करते हुए पत्थरगढी करवाने का पारित किया गया है। जो विधिसम्मत होने से यथावत रखने का आग्रह किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित कराने हेतु आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार वादग्रस्त खसरान की फर्द सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 6.5.22 अपूर्ण एवं अस्पष्ट पायी गई। अपीलांट्स के कथनानुसार उक्त रिपोर्ट में वादग्रस्त खसरान का न तो नक्शा बनाया गया और न ही सीमाओं का नाप अथवा पडौसी खातेदारान का उल्लेख है तथा उपस्थित मौतबिरान के हस्ताक्षर एवं अंगूठों का भी अभाव है। इससे साबित है कि सीमांकन की जानकारी अपीलांट्स व अन्य पडौसी खातेदारों को नही रही। अत: इस आधार पर पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत प्रतीत नही होता है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर, अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ कार्यालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह वादग्रस्त खसरान की भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगड़ी हेतु अपीलांट्स एवं अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारान/खातेदारान/सह–खातेदारान को पक्षकार संयोजित कर उनकी सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर, विधिवत तामिली के पश्चात, तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर सीमांकन एवं पत्थरगढी हेतु विधिसम्मत: आदेश पारित करावे।

निर्णय आज **दिनांक 04.11.2024** को खुले न्यायालय सुनाया गया। अधीनस्थ कार्यालय को निर्णय की सत्यप्रति से सूचित किया जावे।

04.11.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,जोधपुर